


# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 1992 व 1993/2013.....जिला.....टोंक.....

उनवान — सहायक आयुक्त, वृत्त—एल, जयपुर बनाम मैसर्स श्री बालाजी इण्डस्ट्रीज, एफ—76, इण्डस्ट्रियल एरिया, निवाई, टोंक।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.05.2015  २	<p style="text-align: center;"><u>खण्डपीठ</u>  <u>श्री बी.के.मीणा, अध्यक्ष</u>  <u>श्री मदन लाल, सदस्य</u></p> <p>अपीलार्थी की ओर से श्री अनिल पोखरणा उप—राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से कोई उपस्थित नहीं।</p> <p>अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा सहायक आयुक्त, वृत्त—एल, जयपुर की ओर से रजिस्ट्रार, कर बोर्ड, अजमेर को प्रेषित प्रार्थना पत्रों की ओर ध्यानकर्षित कर, कथन किया कि चूंकि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा हस्तगत प्रकरणों में राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.12(59)एफडी/टैक्स/2014—25 दिनांक 14.07.2014 की एमनेस्टी योजना—2015 का लाभ लेना चाहता है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को “विद्ङा” करना चाहता है। अतः उक्त को “विद्ङा” करने हेतु निवेदन किया गया।</p> <p>रिकॉर्ड पत्रावलियों पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र, जो इस पीठ के समक्ष विचाराधीन हैं में उल्लिखित <u>अपील संख्या क्रमशः 1992 व 1993/2013/टोंक</u> को विद्ङाल करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। फलस्वरूप प्रस्तुत अपीलों निष्प्रभावी घोषित की जाती है। आदेश प्रसारित किया गया।</p> <p style="text-align: right;">—३६२—  (बी.के.मीणा)  अध्यक्ष</p> <p style="text-align: left;">   (मदन लाल)  सदस्य </p>	